Ex.P.-249-K-1

(38) 295 D-287

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद परिसर" अवंति विहार, मुख्यालय–रायपुर

साविप्र के तहत् वितरण हेतु विभिन्न खाद्यान्नों, नमक, शक्कर आदि की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रक्रिया के संबंध में।

चना एवं पीली मटर दाल :–

वर्तमान में चना एवं पीली मटर दाल के गुणवत्ता निरीक्षण हेतु पैकिंग स्थल पर ही गुणवत्ता जांच किये जाने एवं प्राप्ति स्थलों पर भी पदस्थ कर्मियों द्वारा गुणवत्ता जांच कर पावती दिये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इस संबंध में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रक्रिया गुणवत्ता कक्ष द्वारा पूर्व में भी प्रस्तुत कर संबंधित कक्षों को भेजी गई थी, जिसके अनुसार पैकिंग स्तर पर ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया रखी जा सकती है–

1. चना/मटर दाल की पैकिंग के पूर्व, निर्धारित मात्रा का एक बेच निर्धारित किया जाए तथा प्रत्येक बेच को एक नम्बर दिया जाए।
2. पैकिंग स्थल पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा इस बेच का परीक्षण एवं गुणवत्ता जांच कर इसे पैकिंग हेतु अनुमोदित किया जाए एवं प्रत्येक बेच का सेम्पल एवं विश्लेषण रिपोर्ट सुरक्षित रखा जाए।
3. पैकिंग उपरांत, केन्द्रों पर भेजे जाने के पूर्व भी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा निरीक्षण किया जावे तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक पैकेट पर पैकिंग तिथि/बेच नम्बर काउल्लेख किया जाए।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा उपरोक्तनुसार जांच उपरांत ही केन्द्रवार चना/मटर दाल भेजा जाए एवं प्रत्येक बेच की मात्रा, केन्द्रवार प्रेषित मात्रा एवं बेच नम्बर सहित पूर्ण जानकारी पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं मुख्यालय को दी जाए।
5. केन्द्रों पर प्राप्ति उपरांत रेण्डम आधार पर केन्द्र पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भी सेम्पल लिया जाकर बेचवाइस विश्लेषण रिपोर्ट रखी जाए एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
6. पैकिंग स्थल पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं केन्द्रों द्वारा की गई रेण्डम जांच के परिणामों का भी मिलान कराया जाए।
7. उपरोक्तानुसार गुणवत्ता परीक्षण निर्धारित होने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाए।

क्रमशः–02

अमृत नमक :–

अमृत नमक की गुणवत्ता के संबंध में वर्तमान में यह प्रकिया प्रचलित थी की नमक लोडिंग रेक पाईट पर निगम प्रतिनिधि द्वारा सेम्पलिंग एवं उप नमक आयुक्त के प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जाती थी तथा इसके अतिरिक्त किसी स्तर पर नमक की सेम्पलिंग एवं गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। इस संदर्भ में वर्तमान में जिलों में प्राप्त होने वाले अमृत नमक की सेम्पलिंग एवं गुणवत्ता जांच कराये जाने के निर्देश जिला प्रबंधकों को पत्र क्र. 72 दिनांक 03.05.2014 द्वारा जारी किये गये है तथा इन जारी निर्देशों के संबंध में शासन को भी अवगत कराया गया है।

राज्य शासन द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जिलों को अमृत नमक की गुणवत्ता जांच हेतु सेम्पल सीधे इस प्रयोगशाला को भेजा जाकर विश्लेषण रिपोर्ट से मुख्यालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देश पत्र क्र. 97 दिनांक 08.05.2014 द्वारा जारी किये गये है।

चावल :–

निगम द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के तहत् चावल उपार्जन का कार्य सीएमआर योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस हेतु निगम के उपार्जन केन्द्रों पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायकों द्वारा प्राप्त लाटों का सेम्पलिंग कर विश्लेषण किया जाता है एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त होने पर ही चावल स्वीकृत किया जाता है। मुख्यालय स्तर से पदस्थ संविदा सहायक प्रबंधकों द्वारा नियमित रूप से केन्द्रों का निरीक्षण कर उपार्जित किये गये चावल का परीक्षण किया जाता है एवं सेम्पलों का विश्लेषण मुख्यालय प्रयोगशाला में किया जाता है। निरीक्षण में प्राप्त सेम्पल अमानक पाये जाने पर संबंधित लाट/स्टेक्स को रिप्लेस कराये जाने के निर्देश जारी किये जाते है।

गेंहू –

निगम द्वारा अब तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहू प्राप्त किया जाता रहा है। वर्तमान में म.प्र. निगम से गेहू क्रय किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसके तहत् गेहू लोडिग पाईट पर गुणवत्ता जांच हेतु निगम की ओर से 02 संविदा सहायक प्रबंधक एवं 04 कनिष्ठ तकनीकी सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। गेहू क्रय की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

शक्कर एवं डीएफएस नमक :–

शक्कर एवं डीएफएस नमक की गुणवत्ता जांच निगम मुख्यालय स्तर से कराये जाने की कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं है, और न ही निगम के पास इस हेतु आवश्यक तकनीक, उपकरण एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।

क्रमशः-- 03

(36) (293)

उपार्जित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन के समय करने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि साविप्र के तहत् निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही भण्डारण हो अर्थात् भण्डारण अवधि में भी खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु गोदामों में नियमित रूप से साफ–सफाई, एरियेशन, कीटोपचार आदि अत्यंत आवश्यक है। गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण, फीफो का पालन एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं पर समय–समय पर मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किये जाते है एवं इन बिन्दुओं के संबंध में भी सहायक प्रबंधक गुणवत्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रतिवेदन दिया जाता है। साथ ही जिलों से मासिक कीटोपचार प्रतिवेदन मंगाये जाते है। प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलों को लेख किया जाता है।

गुणवत्ता कक्ष के कार्यो के संबंध में आवश्यकता एवं सुझाव :–

(अ) निगम द्वारा वर्तमान में लगभग 120–125 केन्द्रों पर उपार्जन/भण्डारण एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर उपार्जन, भण्डारण एवं वितरण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 01 कनिष्ठ तकनीकी सहायक की पदस्थी आवश्यक है। साथ ही जिलों/केन्द्रों में चल रहे उपार्जन/वितरण के दौरान गुणवत्ता के संबंध में निरीक्षण कार्यो हेतु संविदा सहायक प्रबंधक एवं उप प्रबंधक तकनीकी की भी आवश्यकता है। इस संबंध में निम्न बिन्दु विचारणीय है –

1. निगम के वर्तमान स्वीकृत सेटअप में 90 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 71 कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यरत है। शेष 19 पदों पर शीघ्र नियुक्ति किया जाना उचित होगा।

2. शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2013–14 हेतु 35 संविदा क.त.स. की नियुक्ति के निर्देश दिये गये है, जिस पर पुर्ननियुक्ति/नवीन नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है।

3. क.त.स. द्वारा किये जाने वाले कार्यो में अनुभव भी आवश्यक है। अतः यह बिन्दु भी विचारणीय है कि संविदा पदस्थी कम से कम 01 वर्ष हेतु दी जावें तथा प्रत्येक वर्ष कार्य एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए सेवावृद्दि प्रदान की जाए।

4. निगम में नियमित पदों पर कार्यरत क.त.स. लगभग 05–06 वर्षो से कार्यरत है तथा इनके पदोन्नती हेतु कोई चैनल निर्धारित नहीं है एवं इनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए वेतनमान भी कम है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संचालक मंडल द्वारा इनका वेतनमान पुर्नरीक्षित करने एवं पदोन्नती चैनल संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन से प्रस्ताव पर निर्णय लंबित है।

5. सहायक प्रबंधक तकनीकी/गुणवत्ता एवं उप प्रबंधक तकनीकी के रिक्त पदों पर नियुक्ति विचारणीय है।

कमशः– 04

(ब) पिछले कुछ समय में पीली मटर दाल एवं चना के संबंध में कीड़ा लगने, घुन आदि की शिकायतें प्राप्त हुई है। इस संबंध में मुख्यतः चना/पीली मटर की पैकिंग में नमी ही मुख्य कारण है। साथ ही एयरटाईट पॉलिपैक एवं एचडीपीई बैग में पैक होने के कारण पर्याप्त एरियेशन एवं कीटोपचार भी प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। अतः इसे भी 50—50 किलो के बारदाना पैक में प्राप्त किया जाना एवं तौल कर साविप्र दुकानों में भेजे जाने पर विचार किया जा सकता हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ......C.S. Q.C......

विषय ....

फाईल नं. ....वर्ष .... पृष्ठ क्रं. ......①...⑤

विषय– चना एवं मटर दाल के गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि चना एवं मटर दाल के केन्द्रों पर परीक्षण एवं गुणवत्ता जांच में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के संदर्भ में आपसे हुई चर्चा अनुसार यह आवश्यक है कि चना/मटर दाल की गुणवत्ता का परीक्षण पैकिंग स्तर पर ही किया जाए। इस हेतु जिला कार्यालय रायपुर द्वारा 03 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की पदस्थापना पैकिंग स्थानों पर की गई है, लेकिन इनके द्वारा किये जा रहे कार्यो, गुणवत्ता परीक्षण आदि की जानकारी मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो रही है। इस हेतु जिला प्रबंधक को पत्र प्रेषित किया गया है।

पैकिंग स्तर पर ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु निम्नानुसार प्रकिया रखी जा सकती है–

1. चना/मटर दाल की पैकिंग के पूर्व, निर्धारित मात्रा का एक बेच निर्धारित किया जाए तथा प्रत्येक बेच को एक नम्बर दिया जाए।
2. पैकिंग स्थल पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा इस बेच का परीक्षण एवं गुणवत्ता जांच कर इसे पैकिंग हेतु अनुमोदित किया जाए एवं प्रत्येक बेच का सेम्पल एवं विश्लेषण रिपोर्ट सुरक्षित रखा जाए।
3. पैकिंग उपरांत, केन्द्रों पर भेजे जाने के पूर्व भी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा निरीक्षण किया जावे तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक पैकेट पर पैकिंग तिथि/बेच नम्बर का उल्लेख किया जाए।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा उपरोक्तनुसार जांच उपरांत ही केन्द्रवार चना/मटर दाल भेजा जाए एवं प्रत्येक बेच की मात्रा, केन्द्रवार प्रेषित मात्रा एवं बेच नम्बर सहित पूर्ण जानकारी पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं मुख्यालय को दी जाए।
5. केन्द्रों पर प्राप्ति उपरांत रेण्डम आधार पर केन्द्र पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भी सेम्पल लिया जाकर बेचवाइस विश्लेषण रिपोर्ट रखी जाए एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
6. पैकिंग स्थल पर पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं केन्द्रों द्वारा की गई रेण्डम जांच के परिणामों का भी मिलान कराया जाए।
7. उपरोक्तानुसार गुणवत्ता परीक्षण निर्धारित होने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाए।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया विचारार्थ प्रस्तुत है एवं यदि मान्य हो तो इसके पालन हेतु आपूर्तिकर्ता एवं संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु चना/मटर दाल के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी सचिव

प्रबंध संचालक

कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पालन हेतु आपूर्तिकर्ता/पैकिंग स्थल पर पदस्थ क.त.स. को आवश्यक निर्देश जारी कर, प्रति क.(QC) को भी उपलब्ध करायें।

CS/108 02/7/13

MD/1361/2.7.13 3.7.13

आ.क्र.-248 दि. 3.7.13

03/7/13

NO(IT) प्रबंधक (टक्स)

कृ.पृ.उ. 3/7/2013

SCHEME FOR CONSTRUCTION OF GODOWNS FOR DCP STATES - STORAGE REQUIREMENTS THROUGH PRIVATE ENTERPRENEURS - 2009

BACKGROUND

In RMS 2008-09 & 2009-10 and KMS 2007-08 & 2008-09, procurement of wheat and rice has been substantially higher than in previous year. Procurement in DCP States has also seen an increasing trend in the last few years. Due to shortage of storage capacity with FCI and State Agencies, large quantity of wheat has been stored in CAP which is not considered desirable in the long run. In order to provide food security to the nation, it is considered necessary that sufficient stock of wheat and rice is available in all States. A scheme for FCI for construction of godowns through private entrepreneurs was issued on 28.7.2008. On the request of State Governments a similar scheme has been formulated for DCP States.

2. **Identification of the location for hiring of godowns:**

2.1 State Government or any agency designated by it will analyse the storage needs of the region based on overall procurement/consumption (under TPDS and OWS), availability of existing godowns of FCI/CWC/SWC/State Agencies.

2.2 The assessment of additional storage capacity required in various States would then be placed before the State Level Committee.

3. **Parameters [illegible]**

3.1 Location of godowns under the Scheme will be decided by following parameters:

i. Past utilization of the godown in the area;

ii. Lead distance between (a) procurement centre and the proposed godown and (b) the distance between the proposed godown and the loading point/rail head. All godowns shall be on National/State Highways.

iii. Expected utilization of godown at procurement levels of last three years.

3.2 The creation of additional godown capacity should not involve creation of any additional post including labour. If additional posts are created, the cost will not be borne by the Government of India.

4. Competent Committees/Agencies and their Role:

State Level Committee:

32

30

—: :—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

—————— प्रधान कार्यालय 97, आनंद नगर, रायपुर ——————

क0/छगवेका/मुख्या/प्र0स0/2008–09/7637 रायपुर दिनांक, 5.11.08

—::—परिपत्र—::—

शाखाओ के गोदामों में स्कंध का जमा भुगतान के संबंध में निगम के वर्क एण्ड प्रोसीजर दिनांक 27.08.07 के तहत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। विगत समय में घटित घटनाओं एवं निरीक्षण में पाई गई विसंगतियों को देखते हुए पूर्व में जारी निर्देशों एवं नियम प्रक्रिया के अधीन स्कधं जमा–भुगतान के समय विशेष ध्यान दिया जावे। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार बिन्दुवार निर्देश दिये जाते है:–

(1)स्थान आरक्षण एवं आरक्षण के अन्तर्गत संग्रहण– सुनिश्चित करें कि–

अ– जमाकर्ता को उपलब्ध क्षमता आधार पर आरक्षण दिया जावे एवं आरक्षण की पुष्टि पश्चात भण्डारण किया जावे।

ब– जमाकर्ता, स्थान आरक्षण पुष्टि के बाद आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त स्थान की जानकारी प्राप्त कर ही गोदामों पर भण्डारण हेतु स्कंध भेजें।

स– जमाकर्ता से आरक्षण से अधिक मात्रा में स्कंध भण्डारण हेतु स्वीकार नहीं किया जावे।

(2)स्कंध जमा करना–

अ–डम्पिंग करने से पूर्वः–

(i) शाखा पर संग्रहण हेतु आने वाले स्कंध के ट्रक चालान/दस्तावेज़ों पर प्राप्तकर्ता के नाम में जमाकर्ता (यथा–आपूर्ति निगम या भा0खा0नि0) का नाम होगा।

(ii) भण्डारगृह के नाम से आने वाले ट्रकों का स्कंध स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(iii) शाखाओं पर जमाकर्ता के मिलर्स/ट्रांसपोर्टर्स से, स्कंध सीधे इस निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया जावेगा बल्कि जमाकर्ता से ही प्राप्त किया जावेगा।

(iv) जमाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आवेदन पर ही स्कंध जमा करने बाबत गोदाम में डम्प करवाया जावेगा।

(v) गोदामों पर प्रतिदिन उतने ही लॉट डम्प करवाये जावेगे। जितनी प्रतिदिन स्कंध तौल व्यवस्था, हम्मालों की उपलब्धता,जमाकर्ता के क्वालिटी–इन्सपेक्टर की विश्लेषण क्षमता (Analysis-Capacity) होगी। ताकि प्रतिदिन प्राप्त स्कंध की स्टेकिंग हो सके।

ब–जमा का गेटपास जारी किया जाना:–

(i) जमाकर्ता प्रतिनिधि द्वारा दस्तावेजों के विवरण सहित लिखित आवेदन के आधार पर गोदामों पर स्थान की उपलब्धता सु–निश्चित की जाकर जमाकर्ता के नाम से (मिलर्स के विवरण सहित) गेटपास जारी होगा।

5/11/08

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय रायपुर

क्वालिटी कंट्रोल मेन्युअल

खरीफ वर्ष 2013–14 हेतु

Moisture (नमी)–

किसी भी खाद्यान्न के लंबे एवं सुरक्षित भण्डारण के लिये नमी एक महत्वपूर्ण कारक है, यदि खाद्यान्न में नमी निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो उसकी गुणवत्ता बहुत समय तक बनाये रखना कठिन होगा। अतः नमी के निर्धारण पर विशेष ध्यान देना चाहिये, विशेषकर उसना चावल में।

नमी का निर्धारण नमीमापक यंत्र द्वारा किया जाता है, प्रत्येक खाद्यान्न के लिये अलग–अलग मात्रा एवं दबाव निर्धारित है जो नमीमापक यंत्र के ऊपर दिया होता है। नमीमापक यंत्र के उचित उपयोग एवं रखरखाव हेतु निगम द्वारा जारी पत्र क्र. क्यू.सी. /2011–12/उपकरण/437 रायपुर दिनांक 13.09.2012 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करे, जिसकी प्रति संलग्न है। **(परिशिष्ट–IV)**

05. लॉट की स्वीकृति/अस्वीकृति :–

प्राप्त सेम्पल विश्लेषण उपरांत प्राप्त परिणामों के आधार पर चावल स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावेगा। दोनों ही स्थितियों में प्राप्त परिणामों के अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कर अभिस्वीकृति अथवा अस्वीकृति पत्रक जारी किये जायेंगे। चावल विश्लेषण उपरांत यदि किसी भी रिफ्रेक्शन में निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया जाता है तो उस लॉट को अस्वीकृत किया जाये, अस्वीकृत लॉट 24 (24) घण्टे के अंदर राईस मिलर द्वारा वापस उठा लेना अनिवार्य है। अस्वीकृत लॉट न उठाने तक संबंधित मिलर से अन्य लॉट प्राप्त न किया जाये। (मुख्यालयीन पत्र क्र. क्यू.सी./ निर्देश/2011–12/809 दिनांक 21.11.2011)

चावल अस्वीकृत होने पर यदि राइस मिलर्स द्वारा आपत्ति है तो उससे आवेदन प्राप्त कर प्रकिया अनुसार चावल के सील्ड सेम्पल निकालकर नियमानुसार जिला/मुख्यालय स्तर उसका विश्लेषण किया जायेगा तथा प्राप्त परिणाम सर्वमान्य होंगे।

06. चावल उपार्जन के उपरांत किसी भी सक्षम अधिकारी अथवा एजेन्सी द्वारा चावल का सेम्पल लेकर परीक्षण कराने पर यदि चावल अमानक स्तर का पाया जाता है तो ऐसे प्राप्त लॉट/स्टेक्स् को संबंधित मिलर द्वारा बदली कराया जाकर सही गुणवत्ता का चावल दिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में संबंधित तकनीकी सहायक पर भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

07. चावल के लॉट की डम्पिंग से लेकर स्टेकिंग कराये जाने तक की पूर्ण जवाबदारी मिलर की है तथा इस हेतु समस्त व्ययों का भुगतान भी मिलर द्वारा ही किया जाता है।

चना, पीली मटर दाल , आटा आदि का उपार्जन एवं विश्लेषण–

इस हेतु निर्धारित मापदण्डों की प्रतियां संलग्न है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही उपार्जन सुनिश्चित करें तथा इनमें मुख्य रूप से चना/पीली मटर दाल में कीटग्रस्त तथा नमी की मात्रा पर ध्यान देना विशेष रूप से आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश पत्रों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–V)

निरीक्षण कर उसकी कीटग्रस्तता देंखे, स्टेक के चारों तरफ़ गिरने वाले अनाज के दानों को एकत्र करवाकर साफ करवाकर बोरों में भरवायें।

निरीक्षण :–

गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न का पाक्षिक (F/N) निरीक्षण आवश्यक है, ताकि खाद्यान्न की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती रहे, निरीक्षण करने के लिये परखी से स्टेक के चारों ओर से जिग–जेग विधि से सामान्य ऊंचाई तक का सेम्पल निकालकर उसे छलनी (Sieve) से छान कर देखिये, यदि 500 ग्राम सेम्पल में 02 कीट है तो अल्प कीटयुक्त (Few), यदि दो से अधिक है तो अति कीटयुक्त (Heavy) तथा यदि कीट नहीं है तो उसे कीट रहित (clear) की श्रेणी में रखा जाये, Few तथा Heavy होने से तुरन्त उस स्कंध का धूमीकरण (Fumigation) करना आवश्यक है। गोदामों में किये गये कीटोपचार की मासिक जानकारी निर्धारित प्रारूप प्रतिवेदन में भरकर में भेजा जाना चाहिए, निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न है। **(परिशिष्ट– VI) यह प्रतिवेदन अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है, इसके अभाव में संबंधित तकनीकी सहायक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

Treatment (उपचार)–

गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न के लिये वायु संचार (Aeration) बहुत आवश्यक है वायु संचार के द्वारा खाद्यान्न को लंबे समय तक कीटमुक्त एवं गुणवत्ता युक्त रखा जा सकता है वायु संचार साफ मौसम में किया जाना चाहिये। वायु संचार खाद्यान्न के लिये एक प्राकृतिक उपचार माना जाता है। इस हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक गोदामों को प्रतिदिन नियमित रूप से खोला जायें।

खाद्यान्न का उपचार दो प्रकार से किया जाता है–

01. **Pro-phylactic Treatment** (प्रोफेलेटिक)–

इस प्रकार के उपचार से खाद्यान्नों के कीटग्रस्त होने की स्थिति को रोका जा सकता है। प्रोफेलेटिक के द्वारा फर्श पर रेंगते हुए कीड़े एवं कॉस इन्फेस्टेशन को नियंत्रित किया जा सकता है, इस Treatment में मेलाथियान, डी.डी.व्ही.पी. एवं डेल्टामिथरिन का प्रयोग किया जाता है।

001 *मेलाथियान* (Malathion)–

इसका छिड़काव 15 दिन में एक बार किया जाता है (उदाहरण के तौर पर नवंबर से फरवरी तक 20 दिन में एक बार) इसका छिड़काव खाद्यान्न के बोरे पर किया जाता है।

002 *डी.डी.व्ही.पी.*(Dimethyl dichloro vinyl phosphate) –

इसका छिड़काव 21 दिन में एक बार या आवश्यकतानुसार किया जा सकता है इसे गोदाम में खाली स्थान पर छिड़का जाता है, इसे छिड़कने के बाद यदि गोदाम को बंद कर दिया जाये तो यह Fumigent का कार्य करता है, गोदाम में बोरों के बाहर पाये जाने वाले कीड़ों को समाप्त कर देता है, इसका छिड़काव सीधे बोरों एवं अनाज पर नहीं करना चाहिये, धूमीकरण करने के समय Cross infestation रोकने के लिये इसका उपयोग करना चाहिये, DDVP का छिड़काव सायंकाल गोदाम बंद करने के समय करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है।

003 *डेल्टा मिथरिन*–

इसका छिड़काव तीन माह में एक बार किया जाता है एवं बोरों के ऊपर किया जाता है, इसका छिड़काव उन्हीं स्टेक पर करना चाहिये, जिनको तीन माह तक प्रदाय न किया जाना हो।

5 परिशिष्ट - III

19 (8)

Sukla

23

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
संचालनालय रायपुर

क्र. 2576/खाद्य/संक/2003 — रायपुर, दिनांक 29.10.2003

प्रति,

प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण)
छ.ग. नागरिक आपूर्ति निगम
रायपुर

विषयः— चावल सेम्पल के परीक्षण उपरांत निर्धारित समय पश्चात सेम्पलो को नष्ट (डिस्कार्ड) करना ।

संदर्भः— आपका ज्ञापन कमांक क्यू. सी./विशलेषण/सामान्य/2003/141/रायपुर दिनांक 12.09.2003

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारतीय खाद्य निगम से प्रचलित पद्धति अनुसार सेम्पल परीक्षण उपरांत परीक्षण तिथि से 6 सप्ताह तक संधारण करने के उपरांत सेम्पल नष्ट किया जा सकता है । दूसरा सील्ड सेम्पल 3 माह तक संधारित किया जावेगा एवं यदि इसके संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो 3 माह उपरांत इसे भी नष्ट किया जा सकता है ।

अतः उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में समय सीमा से अधिक समय से संग्रहित चावल/गेहूं के सेम्पल को नष्ट करने सहमति दी जाती है ।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

29/10/2003

संयुक्त संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
रायपुर

7226
30/10/03

(4) परिशिष्ट-V
(37)
(19)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, हितवाद भवन, अवंति विहार कालोनी, रायपुर

क/नो.अ.आई.टी./चना/2013/161

रायपुर, दिनांक 17.06.2013

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि.

समस्त

विषय : चना स्कंध की गुणवत्ता के संबंध में।

अप्रैल 2013 से नये चना प्रदायकर्ता (1) मेसर्स ए.डी. एग्रो फूड प्रा.लिमि. इंदौर को रायपुर एवं बस्तर संभाग (2) मेसर्स डिवाईन काप्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा.लिमि. को बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए चना प्रदायकर्ता नियुक्त किया गया है। मेसर्स संजय ग्रेन प्राडक्ट प्रा.लिमि. रायपुर एवं मेसर्स चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लिमि. जगदलपुर को क्रमशः रायपुर एवं बस्तर संभागों में चना की कमी होने के कारण मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त चना सप्लाई आदेश दिया गया है।

चना प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदाय केन्द्र में चना प्रदाय करने पर पावती से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही की जावे --

(1) चना प्रदाय हेतु मुख्यालय द्वारा निविदा वर्ष 2013–14 में उल्लेखित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चना का गुणवत्ता परीक्षण उस तकनीकी सहायक से कराया जाये जिसे चावल उपार्जन के लिए पदस्थ किया गया है।

(2) प्राप्त चना का गुणवत्ता परीक्षण पश्चात मानक गुणवत्ता के होने पर ही चना की पावती दी जाये तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति प्रदाय केन्द्र में तथा दूसरी प्रति जिला प्रबंधक को उपलब्ध करायी जाये।

(3) प्रत्येक सप्ताह प्राप्त चने की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय के ई–मेल जिला प्रबंधक द्वारा प्रेषित किये जाये।

(4) गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए रेण्डम आधार पर बोरियों से पैकेट निकाल कर चना की गुणवत्ता परीक्षण की जाये, परीक्षण किये गये चने का सील्ड सेम्पल भी रखा जाये, जिस बोरे से सेम्पल के लिए चना निकाला गया है, उसमें एक बोरे से एक–एक किलो वाला

...2...

पैकेट निकाल कर सेम्पल के लिए निकाले गये बोरों में भरकर 25 किग्रा का पैकेट पूरा कर लें तथा अंत में शेष कम वजन के बोरों को पृथक से रखें तथा सेम्पल के पश्चात शेष वजन की पावती देकर, सेम्पल के लिए निकाले गये पैकेट का चना सप्लायर को देकर पावती प्राप्त कर लें। उचित मूल्य दुकानों को भंडारण के समय ध्यान रखें कम वजन के बोरे भंडारित न हों तथा तौलकर ही भंडारण किया जाना सुनिश्चित करें।

(5) उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित मापदण्ड का ही चना भंडारण सुनिश्चित करें, निविदा वर्ष 2013–14 में निर्धारित मापदण्ड का स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट–8 संलग्न किया गया है।

(6) जिला प्रबंधक गोदामों में भंडारित चने का गुणवत्ता परीक्षण करके देख लेवें यदि निर्धारित मापदण्ड के नहीं पाये गये तो संबंधित प्रदायकर्ता से निर्धारित मापदण्ड का चना प्राप्त कर अमानक चना वापस किये जाये।

(7) प्राप्ति के समय मुख्यालय द्वारा निर्धारित 01 किग्रा नेट वजन, ग्रेडिंग उपरान्त 60 माइक्रान के पॉलीपैक में 25–25 पैकेट की संख्या में नये HDPE बैग में जिसका वजन 40 से 50 ग्राम होगा कर सिलाई करके जमा कराया जायेगा।

(8) चना शुद्ध वजन का प्राप्त किया जायेगा अर्थात पॉलीथीन एवं HDPE बैग का वजन घटाकर प्राप्त वजन का उल्लेख किया जायेगा।

(9) सहायक प्रबंधक द्वारा भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन पर उपरोक्त निर्देशानुसार चना की गुणवत्ता निरीक्षण किया जायेगा।

(कौशलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि

(1) श्री डी. एस. कुशवाहा सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता कक्ष मुख्यालय भोपाल।

(2) श्री आर. पी. पाठक सहा० प्रबंधक गुणवत्ता कक्ष मुख्यालय भोपाल।

D:\ASHISH\Letters\All Letters.docx

(2) (6)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/क्यू सी/2006/ 748 रायपुर दिनांक, 20-7-2006

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि
समस्त.....................

विषयः- उपार्जन एवं भण्डारण केन्द्रों में गुणवत्ता संबंधी जांच के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रायः देखा जा रहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारण केन्द्रों में चांवल के नमूने विभिन्न एजेंसियों व व्यक्तियों द्वारा लिये जा रहे है। जिला/केन्द्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारीयों जिनको तकनीकी ज्ञान है, उनकी अनुपस्थिति में जांच कर्ता द्वारा चांवल का नमूना वैज्ञानिक विधी से नहीं निकाला जाता है। जिसके कारण चांवल की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह जनक होती है। निगम के द्वारा किये जा रहे चावल उपार्जन के गुणवत्ता नियंत्रण एवं इसकी प्रक्रिया की पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों से चांवल की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना लिए जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है।

1. नमूना लिए जाने हेतु कोई भी संस्था, अधिकारी एवं व्यक्ति इस आशय की सूचना संबंधीत उपार्जन/भण्डारण केन्द्रों के प्रभारी एवं तकनीकी कर्मचारी को देगा।
2. केन्द्र प्रभारी या तकनीकी कर्मचारी को सूचना प्राप्त होने पर उस संस्था, व्यक्ति एवं अधिकारी की सूचना का विवरण एक पंजी में दर्ज करेगा तथा वैज्ञानिक विधि (एक स्टेक के चारो तरफ से जिक-जैक विधी से लगभग 6-7 फीट तक परखी से एवं उपरी भाग से क्रास विधि जिसका चित्र पत्र के साथ संलग्न है।)से नमूना निकालेगा, नमूना निकाले जाते समय खाद्य विभाग, निगम अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी का उपस्थित रहना आवश्यक है जिसे नमूना निकालने की वैज्ञानिक विधि ज्ञात हो।
3. जब भी चावल का नमूना निकाला जाएगा, उसके 03 सेम्पल तैयार किये जावेंगे। एक नमूना, नमूना चाहने वाले व्यक्ति या जांच कर्ता को दिया जावेगा, शेष 02 नमूना शाखा/जिला कार्यालय में ही रखा जावेगा। जांच कर्ता के द्वारा नमूना लेजाकर विश्लेषण के पश्चात् रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के उपरान्त अगर नमूना का चांवल अमानक स्तर का पाया जाता है तो उक्त शेष 02 नमूने जो शाखा या जिला कार्यालय में रखे गये थे, उन में से एक नमूना का मुख्यालय स्थिति प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया जायेगा एवं दोनो रिपोर्ट की तुलना की जायेगी, जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

चांवल का नमूना लेने वाला संस्था अधिकारी या व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया पालन नहीं करता है ऐसी स्थिति में चांवल के लिये गये नमूने के रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जावेगा।

प्रबंध संचालक

क्रमांक/क्यू सी/2006/ 748 A रायपुर दिनांक, 20-7-2006

प्रतिलिपिः-1 निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि. मुख्यालय रायपुर

2 सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर समस्त.........................

4 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, आनन्द नगर, रायपुर।

5 महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय, कापा, रायपुर।

6 महाप्रबंधक(उपार्जन/साविप्र/प्रशासन/क्यू.सी.), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.मुख्यालय रायपुर।

प्रबंध संचालक

ध्वज – स

बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय – रायपुर

[illegible] 75 रायपुर दिनांक 08.08.2006

// परिपत्र //

विषयः– नागरिक आपूर्ति निगम के चावल स्कंध से नमूना निकालने की प्रकिया, नमूना का परीक्षण उपरांत अमानक स्तर के चावल के लाटस् के पहचान की प्रकिया ।

———

एतद द्वारा उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

01 स्टेक से नमूना लेने की प्रकिया –

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के स्कंध का नमूना लेने की प्रकिया प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर के पत्र क0/क्यू0सी0/06/748 दिनांक 20/[illegible] के द्वारा स्पष्ट किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रतियाँ संलग्न है । उक्त पत्र में वर्णित प्रक्रिया का पालन नमूना लेने समय किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत –

1 किसी स्टाक से जिगजेक पद्धति से रेण्डम आधार पर नमूना निकाला जाना चाहिए । (संलग्न चित्र अनुसार)

2 स्टाक से नमूना निकालते समय तीन नमूने तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक नमूना लगभग आधा किलो मात्रा का होना चाहिए । जिसमें से एक नमूना, नमूना लेने वाले के द्वारा भारतीय खाद्य निगम की संबंधित प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए । शेष 2 में से एक नमूना छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के व एक नमूना राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम प्रभारी के पास रखा जाना चाहिए ।

3 लिये गये नमूने को नमूना लेने वाले दल के द्वारा सील बंद किया जाना चाहिए ।

4 नमूना लेने वाले दल में छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड/राज्य भण्डार गृह निगम अथवा खाद्य विभाग के एक अधिकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए, ताकि रेण्डम आधार पर नमूना निकालने की पद्धति सुनिश्चित की जा सके ।

5 नमूना लेने वाले दल के द्वारा नमूना सील बंद करने के पूर्व नमूने की थैली में संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक पर्ची डाली जानी चाहिए, जिसमें गोदाम परिसर का नाम/गोदाम का कमांक/स्टेट क0 जिससे नमूना लिया गया/चावल का प्रकार (अरवा/उसना तथा मोटा/पतला)/